



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]
No. 61]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. एन.-10/4/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासनिक और संबद्ध पद) सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक प्रधान लिपिक/सहायक के पद का संबंध है, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) प्रधान लिपिक/सहायक भर्ती विनियम, 2013 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान - उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - (i) उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - (ii) प्रधान लिपिक/सहायक संवर्ग की रिक्तियां प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के परामर्श से प्रसार भारती द्वारा भरी जाएंगी।
4. वरिष्ठता - इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले प्रधान लिपिक/सहायक की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।
5. निरर्हता: वह व्यक्ति -
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या,
 - (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. नैमित्तिक कर्मियों के लिए आयु में छूट : प्रधान लिपिक/सहायक का कार्य निष्पादन करने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टेशनों या केंद्रों में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों को प्रधान लिपिक/सहायक के रूप में उनकी नैमित्तिक आधार पर की गई सेवा अवधि तक सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

बशर्ते एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों की सेवा को एक वर्ष की सेवा के रूप में गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण - एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के उद्देश्य के लिए की गई सेवा सीमा के निर्धारण हेतु नैमित्तिक आधार पर प्रधान लिपिक/सहायक के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की न्यूनतम कुल अवधि के लिए अनुबंध को एक वर्ष गिना जाएगा और एक कैलेंडर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम अनुबंध को इस आयु छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

7. छूट देने की शक्ति : जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. व्यावृत्ति : सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है, उनसे संबंधित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे और पे वेतनमान	क्या चयन पद है या चयन पद	सीधी भर्ती के लिए सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं	परि वी क्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से को भरणे प्रतिशत	की चहे भर्ती से पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और से को का	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
-----------	-----------	----------	------------------	--------------------------	------------------------	--	--	------------------------------	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रधान लिपिक/ सहायक	*561 (2013) * पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 (रू.9300-34,800 और रू.4200/- ग्रेड पे	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (प्रसार भारती के कर्मचारियों को 5 वर्ष और नैमित्तिक कर्मियों को नियम 6 के अनुसार छूट)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत	अनिवार्य: 1) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक 2) कंप्यूटर पर अंग्रेजी	लागू नहीं	दो वर्ष	60% पदोन्नति द्वारा 20% सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भर्ती	पदोन्नति - क) प्रवर श्रेणी लिपिक या स्टोरकीपर ख) केयरटेकर ग) कनिष्ठ स्वागत अधिकारी जिसने संबंधित ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की हो। सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा:	पदोन्नति कि लिए विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य: अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी : सदस्य; 3. उप महानिदेशक (प्रशासन)

संख्या	उस ग्रेड	के लिए	स्वी-	कृत	पदों की	कुल	संख्या	होनी	चाहिए	और	किसी	भी	समय	निगम	में प्रति-	नियु	कित-वत	सर-	
के अभ्यर्थियों	से आवेदन	प्राप्त करने	के लिए	की	अंतिम	तारीख	होगी।	वे	जो	कि असम,	मेघालय,	अरुणाचल	प्रदेश,	मिजोरम,	मणिपुर,	नागालैंड,	त्रिपुरा,		
में 35	शब्द	प्रति	मिनट	या	हिंदी	में 30	शब्द	प्रति	मिनट	की	गति	से	टंकण	परीक्षा	सफल	ता-	पूर्वक	पास	
फीडर ग्रेड में	कर्मचारियों के	दो वर्गों द्वारा	भरी जाएंगी	अर्थात् निगम	द्वारा अधि-	सूचित किए	निगम के	प्रतिनि-	युक्तिवत	सरकारी	कर्मचारी और	निगम के	अधिकारी व	कर्मचारी।					
क) प्रवर श्रेणी	लिपिक या	स्टोरकीपर	ख) केयरटेकर	ग) कनिष्ठ	स्वागत	अधिकारी जिसने	संबंधित ग्रेड में	5 वर्षों की	नियमित सेवा	की हो।	टिप्पणी - 1:	सीमित विभागीय	प्रतिस्पर्धा परीक्षा	की योजना प्रसार	भारती बोर्ड के	परामर्श से	निगम द्वारा		
दूरदर्शन :	सदस्य।	विभागीय	पदोन्नति	समिति	(स्थायीकरण	विचारार्थ)	(i)	उपमहानिदेशक	(प्रशासन)	आकाशवाणी :	अध्यक्ष;	(ii) निदेशक	(प्रशासन)	दूरदर्शन :	सदस्य;	(iii) निदेशक	(प्रशासन)		

कारी कर्म-चारियों और निगम के अधि-कारियों और कर्म-चारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	सिक्किम, लखि, जम्मू और कश्मीर के राज्य प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के और जिले और चम्बा के उप संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	की हो।	एक आदेश के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। टिप्पणी - 2: जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित	आकाशवाणी : सदस्य।
---	--	--------	---	-------------------

	<p>अर्हता/ योग्यता सेवा, इन अर्हता/ योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/ योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त</p>
<p>या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नहीं होगी।)</p>	

5. Disqualification - No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Age relaxation for casual assignees - The casual assignees working in the Stations or Kendras of All India Radio and Doordarshan performing the duties of Head Clerk/ Assistant shall be eligible for relaxation of age for direct recruitment to the extent of their services rendered as Head Clerk/ Assistant on casual basis;

Provided that a minimum of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation - It is hereby clarified that for determining the extent of service rendered for the purpose of this regulation, engagement for a total minimum period of one hundred and twenty days in one calendar year as Head Clerk/ Assistant on casual basis, shall be taken as one year and their engagement for less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for such age relaxation.

7. Power to relax - Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board, and with the prior approval of Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption. And percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
Head Clerk/ Assistant	561* (2013) *subject to variation dependent on the workload.	Group 'B'	PB-2, (Rs.9300-34800/-) and Grade Pay Rs.4200/-	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years.) Note: The crucial date for	<u>Essential:</u> (i) Bachelor's Degree from a recognized University; (ii) Should pass typing test at the speed of 35 words per minute in English or 30 words per	Not applicable.	Two years	(i) Sixty per cent by promotion; (ii) Twenty per cent by Limited Departmental Competitive Examination; (iii) Twenty per cent by Direct Recruitment. Note: The vacancies arising in a particular year in each grade (other than	Promotion (a) Upper Division Clerk or Storekeeper; or (b) Caretaker, or (c) Junior Reception Officer, with ten years regular service in their respective grade.	Departmental Promotion Committee for promotion on: 1. Chairperson or Member of Prasar Bharati Recruitment Board; Chairperson

732 GI/13-4

	<p>in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputations to the Corporation</p>			<p>determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state,</p>	<p>minute in Hindi on computer.</p>		<p>the direct recruitment posts) shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. Government servants on deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be notified by the Corporation.</p>	<p><u>Limited Departmental Competitive Examination</u> (a) Upper Division Clerk or Storekeeper; or (b) Caretaker; or (C) Junior Reception Officer, with five years regular service in their respective grade. (The Scheme for the Limited Departmental Competitive Examination shall be notified through an order by the Corporation, in consultation with the Prasar</p>	<p>erson; 2. Deputy Director General (Administration). All India Radio : Member; 3. Deputy Director General (Administration). Doordashan: Member. <u>Departmental Promotional Commission</u> 1. Deputy Director General</p>
--	---	--	--	---	-------------------------------------	--	--	---	---

<p>and the officers and employees of the Corporation.</p>	<p>Lahaul and Spiti District and Pangl sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Bharati Recruitment Board.)</p> <p>Note :- Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years ; whichever is less, and have</p>	<p>(Admini stration), All India Radio: Chairm an; 2. Director (Admini stration), Doorda rshan: Membe r; 3. Director (Admini stration), All India Radio: Membe r.</p>
---	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

Brig. (Retd.) VAM HUSSAIN, Member (Personnel)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.